राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल को '' जयपुर घोषणा – ***राजस्थान में बच्चों के लिए विद्यालय को सुरक्षित बनाने हेतु दिशा निर्देश एवं जाँच सूची*** की प्रति भेंट

बच्चों की सुरक्षा के प्रयास, सराहनीय पहल

– राज्यपाल

जयपुर, 09 जुलाई। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह को सोमवार को यहां राजभवन में ''जयपुर घोषणा – राजस्थान में बच्चों के लिए विद्यालय को सुरक्षित बनाने हेतु दिशा निर्देश एवं जाँच सूची'' की पुस्तिका भेंट की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री जे.सी. मोहन्ती ने बच्चों की सुरक्षा की गाइडलाइन्स की प्रति राज्यपाल श्री सिंह को प्रस्तुत की।

राज्यपाल श्री सिंह ने बच्चों की विद्यालय में सुरक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों को सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के प्राचार्यों की समिति गठित की जावें, जो गाइडलाइन्स के आधार पर विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डों का फिजिकल वेरीफिकेशन करे। राज्यपाल श्री सिंह ने इस कार्य की निरन्तर समीक्षा करने के लिए भी कहा है।

राज्यपाल श्री सिंह को अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री जे.सी.मोहन्ती ने बताया कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ''जयपुर घोषणा'' तैयार की गई है। इन गाइडलाइन्स को राज्य सरकार, सम्बन्धित विभाग, सरकारी व निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सेव द चिल्ड्रन, बाल आयोग एवं बाल अधिकारिता विभाग ने तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इन दिशा–निर्देशों व जाँच सूची की अनुपालना से स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने कहा कि बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण, खेलकूद के अवसर, भरपूर प्यार व सुरक्षित वातावरण मिलना आवश्यक है। जयपुर घोषणा इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। बाल अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने पुस्तिका में शामिल गाइडलाइन्स की जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्यों ने इस पहल को प्रंशसनीय बताया।

इस मौके पर राज्यपाल के सचिव श्री देबाशीष पृष्टि, विशेषाधिकारी डॉ. अजय शंकर पाण्डेय, सेव द चिल्ड्रन के महाप्रबंधक श्री संजय शर्मा, श्री हेमन्त आचार्य, श्री रमाकांत सतपथी, श्री बी.सी. कुमावत, श्रीमती नवीना सिंघानिया, श्रीमती जयश्री पारीक, श्री लववीर सिंह रूहेला, श्रीमती रीता पी. तनेजा, श्री ललित मोहन शर्मा, श्रीमती पायल सिंह व श्री बेहराम चौधरी मौजूद थे।

जयपुर घोषणा अस्सी पृष्ठों की पुस्तिका है। इस पुस्तिका में बच्चों की सुरक्षा के दिशा – निर्देश, जाँच सूची व आचार संहिता को हिन्दी व अंग्रजी भाषा में विस्तार से वर्णित किया गया है। पुस्तिका में हेल्पलाइन नम्बरों की सूची भी दी गई है। बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए शर्तें, विद्यालयों व महाविद्यालयों के कर्तव्यों तथा गाइडलाइन्स के सुचारू व सफल क्रियान्वयन के लिए बनाई गई समितियों की जानकारी का उल्लेख पुस्तिका में किया गया है। पुस्तिका में अनुशासन, जागरूकता, यौन शोषण, नशा, स्पर्श, स्वास्थ्य व बिजली संबंधी जोखिमों सहित बाल सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियों को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है।

– – –

डॉ.लोकेश चन्द्र शर्मा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
राज्यपाल, राजस्थान